इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – marketing.ids@sanchidairy.com

Sales.ids@sanchidairy.com, ceo.ids@sanchidairy.com

!! मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में विभिन्न 24 मार्गों के लिए संचालित साँची पार्लर/एजेंसियों dks साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद (सादा छाछ, मसाला छाछ, लस्सी, दही, बायोमेजिक दही, पनीर, कुकीज़, पेड़ा, फ्लेवर्ड मिल्क एवं गुलाबजामुन) वितरण कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्ति ई–निविदा के माध्यम से **Online** परिवहन दरें आंमत्रित की जाती है जो कि वेबसाईट **www.sanchidairy.com** पर दिनांक **08-10-2025** से देखी जा सकती है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. **500/-** का भुगतान कर वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** पर **Online** आवेदन दिनांक **28-10-2025** तक जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई संशोधन होता हैं तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नही होगा, अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक 3922 दिनांक 08.10.2025 आवेदन मूल्य रू. – **500.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2025–2028

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर **453771**

Email – marketing.ids@sanchidairy.com

Sales.ids@sanchidairy.com, ceo.ids@sanchidairy.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

((साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र))

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक अंतिम तिथि एवं समय।	–	28.10.2025 दोपहर 3:00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा (ऑनलाईन) जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	–	28.10.2025 सायं 5:00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	–	29.10.2025 सायं 5:30 बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	–	रू. **50,000/–** (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र)
(5)	निविदा खोलने का स्थान	–	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, ए.बी.रोड़, इन्दौर
(6)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य तकनीकी शर्ते	–	प्रपत्र 01
(7)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य शर्ते	–	प्रपत्र 02
(8)	निविदाकर्ता की जानकारी	–	प्रपत्र 03
(9)	शपथ पत्र का प्रारूप	–	प्रपत्र 04
(10)	विपणन मार्ग की जानकारी	–	प्रपत्र 05
(11)	वहन का शपथ पत्र का प्रारूप		प्रपत्र 06
(12)	ऑनलाईन वित्तीय बिड	–	प्रपत्र 07
(13)	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप	–	प्रपत्र 08
(14)	अनुबंध का प्रारूप	–	प्रपत्र 09
(15)	अधिकारी/कर्मचारी/अध्यक्ष से संबंधित न होने के शपथ पत्र का प्रारूप		प्रपत्र 10

-X-

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु इन्दौर शहर विपणन मार्ग क्रमांक .... में वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु दिनांक .... को .... समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ, कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताऐं	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)।	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
6.	पेनकार्ड नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
7.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं/किराये की 01 तापरोधी वाहन दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु (क्षमता 250 क्रेट आवश्यकतानुसार) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। वाहन वर्ष 2022 मॉडल के या बाद का होना अनिवार्य है। मॉंग में वृद्धि होने पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करना होगा।	
8.	निविदाकर्ता के पास दुग्ध व्यवसाय एवं परिवहन हेतु अपने स्वयं/किराये का अनुबंधित वाहन होने की स्थिति में वाहन मालिक के दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध परिवहन हेतु खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन (**रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा लाईसेंस एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)** का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति सलंग्न करें।	
9.	इन्कम टेक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तीन वर्षों की ITR की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
10	वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तीनों वर्षो का कुल रू. 6.00 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार वर्णित हो प्रस्तुत करना होगा। **FMCG** व्यवसायी ही पात्र होंगे। निविदाकार के अनुभव संबंधी विषय पर निर्णय लेने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा।	
11	आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है।	
12	एमपीसीडीएफ के भंडार–क्रय नियम की उपकण्डिका क्रं. 8.04 के अनुसार ''यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।'' तदाशय का शपथ पत्र रू. 1,000/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकी विवरण के साथ संलग्न करें। **संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।**	
13	आवेदक/निविदाकार एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ में कार्यरत्/पूर्व कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त सम्बन्धी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, इस बाबद् रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न प्रपत्र क्रमांक 10)	
14	इस निविदा में वर्तमान में कार्यरत वितरक अथवा पूर्व वितरक द्वारा भाग लिया जाता है, तो दुग्ध संघ से/दूध सुपरस्टॉकिस्ट/दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट/घी सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	
15	निविदाकर्ता को सॉंची दूध एवं दुग्ध उत्पाद भण्डारण हेतु 02 नग डीप फ्रीज न्यूनतम 200 लीटर क्षमता वाले रखना अनिवार्य होगा। नये डीप फ्रीज खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
16	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा करना होगी तथा उसकी रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
17	निविदाकार को निविदा भरते समय स्वयं की बैंक (जिसमें खाता संचालित हो) के बैंक प्रबंधन से अकाउण्ट प्रमाणीकरण प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
18	निविदाकार इन्दौर शहर का निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
19	आवेदक/निविदाकार का एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों/अन्य स्थानीय स्तर पर किसी भी कार्य हेतु व्यवहारिक रिकार्ड के संबंध में रू. 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मूल शपथ पत्र नोटिराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ''ब'' अनुसार संलग्न करना होगा।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर – – – – – – – – – –
नाम – – – – – – – – – –
पता – – – – – – – –
दूरभाष/मोबाईल नम्बर– – – – – – – –

(समान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) आवेदक को ऑनलाईन राशि रू. रूपये 50,000/- (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 3.50 लाख नकद तथा क्रेट हेतु राशि रू. **1.00 लाख** आर.टी.जी.एस. के माध्यम से एकमुश्त दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाईन राशि रू. 50,000/- अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति राशि में समायोजन कर इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रू. 5.00 लाख होगी। इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

3 (A) दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी। जिसको जमा करना अनिवार्य होगा।

3 (B) निविदाकर्ता द्वारा अधिकतम दो मार्गों के लिये वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु भाग लिया जा सकेगा। जिसको पृथक–पृथक से भरना अनिवार्य होगा।

4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई–टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।

5) परिवहन कार्य हेतु स्वयं/किराये की 01 तापरोधी वाहन दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु (क्षमता 250 क्रेट आवश्यकतानुसार) जिसके दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं का वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2022 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओं. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।

6) सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं/किराये के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।

7) वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

A) वितरक सह परिवहनकर्ता को इन्दौर शहर विपणन मार्ग मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में मार्ग क्रमांक .... विपणन क्षेत्र .... में सभी मिल्क पार्लर/डिपो/रिटेलर/एजेन्सियों/मॉर्डन ट्रेड आउटलेट्स/क्वीक कॉमर्स की माँग पूर्ति हेतु स्वयं का वाहन भेजना आवश्यक होगा।

B) वितरक सह परिवहनकर्ता को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर वसूली चेक के माध्यम से की जावेगी।

C) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की वेरिएंट अनुसार माँग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई–मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संयंत्र को देना होगी। प्रतिदिन माँग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, **अन्यथा दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी नहीं की जाएगी।**

D) वितरक सह परिवहनकर्ता के वाहन चालक/सहायक द्वारा वाहनों में हो रहे दूध एवं दुग्ध उत्पाद लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि वितरक सह परिवहनकर्ता अपने वाहन चालक/सहायक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा वाहन चालक/सहायक की अनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

E) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय की माँग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दूध एवं दुग्ध प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय बाधित होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।

F) वितरक सह परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट–पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

G) सफल निविदाकार को इन्दौर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु नवीन रिटेलर/एजेन्सियाँ नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक (विपणन) को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

H) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु समय–समय पर निर्धारित दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जावेगा।

I) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित दर पर विक्रेताओं का मार्जिन देना होगा, जो समय–समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक सह–परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।

J) इस ई–निविदा में चयनित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वर्तमान में प्रचलित वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। जिसमें वितरक एवं रिटेलर मार्जिन सम्मिलित है। निविदाकार द्वारा केवल इन्दौर शहर विपणन मार्ग मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में मार्ग क्रमांक .... विपणन क्षेत्र .... विपणन क्षेत्र के लिये परिवहन दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) ऑनलाईन प्रतिलीटर में प्रस्तुत करना होगी। दुग्ध संघ से प्राप्त जी.एस.टी. राशि को नियमानुसार यदि प्रभावशील है, तो निर्धारित समयावधि में शासन को भुगतान करना होगा। जिससे दुग्ध संघ जी.एस.टी. राशि की छूट प्राप्त कर सकें। प्रति 03 माह में चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि जी.एस.टी./अन्य कर शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता हैं, तो वितरक सह परिवहनकर्ता से ब्याज एवं पेनल्टी सहित राशि वसूल की जावेगी।

k) वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने संपूर्ण रूट के ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं हो रहा है। वहां पर नवीन एजेन्सी का चयन करते हुए साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह 05 नवीन एजेन्सी खोलना भी अनिवार्य होगी, जिसकी सूची प्रत्येक माह दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगी।

8) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की दरो में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जायेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की प्रचलित स्थापित प्रणाली से होगा।

9) ई–निविदा मे एक ही मार्ग पर प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

10) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जाती है, तो सम्पूर्ण हानि की वसूली वितरक सह परिवहनकर्ता से की जाएगी।

11) वितरक सह परिवहनकर्ता इन्दौर शहर के विपणन मार्ग मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में मार्ग क्रमांक .... विपणन क्षेत्र .... विपणन क्षेत्र में दूध एवं

दुग्ध उत्पाद किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध उत्पाद व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। विदित हो कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद आपातकालीन सेवा में आते है। ऐसी दशा में प्रशासन के दिशा–निर्देश अनुसार प्रदायगी करना अनिवार्य होगी।

12) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन **(मॉडल 2022 या उसके बाद)** तापरोधी वाहन के अन्दर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।

13) निविदाकर्ता द्वारा निविदा में सफल होने के उपरान्त सिर्फ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य किया जावेगा, अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पाद का कार्य बंद करना होगा, जिसके सम्बन्ध में रूपये 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर लिखित सहमति दुग्ध संघ को देना होगी। अन्यथा उनकी वितरकशीप निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

14) वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की रहेगी।

15) निविदाकर्ता को साँची दूध एवं उत्पाद भण्डारण हेतु 02 नग डीप फ्रीज न्यूनतम 200 लीटर क्षमता वाले रखना अनिवार्य होगा। नये डीप फ्रीज खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर आपसी सहमति से अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी। परंतु कार्य अवधि किसी भी पक्ष के लिये अधिकार नही होंगी।

17) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस श्री मान **सी. ई. ओ.** कार्यलय में वितरक सह परिवहनकर्ता साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा। परंतु दुग्ध संघ द्वारा विकल्प व्यवस्था तक कार्य करने के लिये बाध्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में जमा क्षतिपुर्ति राशि से 25% कटोत्रा किया जावेगा।

18) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन माँग अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पाद मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में प्रतिदिन अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में भी राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं किया जाएगा।

19) वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को करना होगी।

20) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

21) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक मिल्क पार्लर/डिपो/रिटेलर/एजेन्सियों/मॉर्डन ट्रेड आउटलेट्स/क्वीक कॉमर्स पर जाकर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा।

22) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन एक दिवस पूर्व दोपहर 2:00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग प्रस्तुत करना होगी।

23) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

24) ई–निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

25) प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर डाक से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए पदार्थो की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

26) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को इन्दौर शहर के विपणन मार्ग मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में मार्ग क्रमांक .... विपणन क्षेत्र .... विपणन क्षेत्र के लिये दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय–समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नही करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जा सकेगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।

27) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

28) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

29) आवेदनकर्ता जिसका एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघों या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में कोई रिकॉर्ड खराब हो अथवा पूर्व में आवेदक पर एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों की नीतियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो ऐसे आवेदन/निविदा को दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन/निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

30) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।

31) तापरोधी वाहनों में न्यूनतम 2 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है। विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएँगें। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।

32) अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।

33) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।

34) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

35) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता **(Arbitrator)** के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु **(Arbitrator)** प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

36) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

37) आवेदक/निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित पार्टी की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में यह कार्य संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी कार्य संबंधी समस्त लेनदारी–देनदारी का निराकरण करेगा

38) पार्टी द्वारा सांची ब्राण्ड की पैकिंग का दुरूपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा किसी भी स्थिति में दुरूपयोग पाया जाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ–साथ ठेका निरस्ती की कार्यवाही भी की जावेगी।

39) सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं पूर्ण ई.एम.डी. भी जब्त की जा सकेगी।

40) कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि दुग्ध संघ द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या पार्टी द्वारा स्वंय की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा राशि का रिफन्ड लेने के पूर्व पार्टी को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन व क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर, लेनदारी व देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।

41) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

42) म.प्र. राज्य के अंदर द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार मार्जिन/कमीशन/परिवहन दिया जावेगा। म.प्र. के अंदर सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य पृथक–पृथक हो सकता है अतः द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि म.प्र. के अंदर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय म. प्र. के अंदर संबंधित क्षेत्र में हो किसी विशेष क्षेत्र हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात मार्जिन/कमीशन/परिवहन मूल्य एवं पैकिंग का दुरूपयोग न हो।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 36 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता/करती हूँ तो मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

नाम – .... **हस्ताक्षर**

सामान्य जानकारी
आवदेन प्रपत्र - 03

❖ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेत ई–निविदा प्रपत्र/आवेदन ❖

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करें।

1	आवेदक/निविदाकार/फर्म का नाम	:	....
2	पिता/पति का नाम	:	....
3	स्थाई पता **(प्रमाण सहित)**	:	....
4	व्यवसाय का पता	:	....
	(अ) दूरभाष नम्बर	:	....
	(ब) मोबाईल नम्बर	:	....
5	शैक्षणिक योग्यता	:	....
6	आवेदन का वर्ग	:	....
	(अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग/सामान्य)	:	....
7	आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशीप है, तो पार्टनरशीप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	:	....
8	वर्तमान व्यवसाय	:	....
9	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर **(टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें।)**	:	....
10	वित्तीय स्थिति **(बैंक खाता क्रमांक)**	:	....
	(अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा।	:	....
	(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि।		....
	(स) करेंट बैंक अकाउंट/बैंक का विवरण।	:	....
11	वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक पूँजी की व्यवस्था	:	....
12	ऑनलाईन द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि का विवरण प्रस्तुत करें	:	....

नोट : (अ) परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।
(ब) निविदाकार/संस्था का मुखिया स्वयं का फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।

दिनांक – ---------------------------------------

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम ....

(रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 04

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... पिता/पति श्री .... स्थायी पता .... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता/कहती हूँ कि :–

1. '' यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।''

2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरूद्ध कोई भी वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

   यह कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह–

1) नाम– ....
   पता–..............................
   आधार कार्ड नं.......................
   मो.नं. ....

2) नाम– ....
   पता– ....
   आधार कार्ड नं.............................
   मो.नं...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम– ....
पता– ....
....
मो.नं. – ....

प्रपत्र 05

इन्दौर शहर 24 वितरक सह परिवहनकर्ता विपणन मार्गों की जानकारी

क्रं.	क्षेत्र का नाम	मार्ग क्रमांक	दूध की मात्रा (क्रेट में)	आना–जाना दूरी (कि.मी.) में
1	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से तलावली चांदा, लसुड़िया, देवास नाका, राहुल गांधी नगर, एम.आर. 11, स्कीम नम्बर 114, स्कीम नम्बर 78	01	237	24
2	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से देवास नाका, गुलाब बाग, बाबु गांधी नगर, महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, स्कीम 134, निपानिया, समर पार्क, पिपल्या कुमार, बॉम्बे हॉस्पिटल	02	241	30
3	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से शीतल नगर, रॉबर्ट चौराहा, धीरज नगर, बर्फानीधाम, मालवी नगर	03	250	30
4	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से अरण्य नगर, स्कीम 17, मालवा मिल, यशवंत निवास, धेनु मार्केट, छप्पन, ओल्ड पलासिया, न्यु पलासिया, एम.जी. रोड़, गीता भवन	04	229	34
5	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से साऊथ तुकोगंज, गीता भवन, नाथ मंदिर, जावरा कम्पाउण्ड, डी.आर.पी. लाईन, छावनी, रिगल चौराहा, मधुमिलन, सरवटे बस स्टेण्ड, अग्रसेन, सपना संगीता	05	220	48
6	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से मालवी नगर, खजराना कांकड़, अनूप नगर, श्रीनगर, आनंद बाजार, साकेत, पत्रकार चौराहा	06	248	40
7	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से बंगाली चौराहा, गोयल नगर, तिलक नगर, टेलिफोन नगर, वंदना नगर, बड़ी ग्वालटोली, रविन्द्र नगर	07	229	38
8	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से खजराना, मानवता नगर, बंगाली चौराहा, देवपुरी, आशीष नगर, कनाड़िया चौराहा	08	245	45
9	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से धार कोठी, रेसीडेन्सी, रेडियो कॉलोनी, आजाद नगर	09	245	50
10	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से चौहान नगर, शान्ति नगर, मुसाखेड़ी, पवनपुरी	10	247	45
11	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से मुसाखेड़ी, भील पल्टन, अल्कापुरी, चितावद रोड़, प्रकाश रोड़	11	218	45
12	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से तीन इमली, दिनेश नगर, उद्योग नगर, आर.टी.ओ. रोड़	12	219	50
13	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से मुसाखेड़ी, मयूर नगर	13	230	26
14	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से आय.टी. पार्क, गणेश नगर, लिम्बोदी, तेजाजी नगर, उमरीखेड़, सिल्वर स्प्रिंग	14	260	60
15	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से भंवरकुआ, इन्द्रपुरी, भोलाराम, रिंग रोड़, पवनपुत्र, अमितेष नगर, चौइथराम, राजीव गांधी, विष्णुपुरी	15	243	50

16	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से जयराम नगर, लोकमान्य नगर, स्कीम 103, आनंद नगर, सिलिकॉन सिटी, नखराली ढाणी, केंट चौराहा, प्रगति नगर	16	135	61
17	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से समाजवादी इंदिरा नगर, सुदामा नगर, द्वारकापुरी, प्रजापत नगर, समाजवाद नगर	17	221	50
18	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से गोपुर चौराहा, सुदामा नगर, सूर्यदेव नगर, विश्वकर्मा नगर, नरेन्द्र तिवारी मार्ग, अन्नपूर्णा नगर	18	222	52
19	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से सिंधी कॉलोनी, जबरन कॉलोनी, नंदलालपुरा, आड़ा बाजार, मोती तबेला, महु नाका, जयरामपुर कॉलोनी, बियाबानी, छत्रीबाग	19	217	45
20	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से जेल रोड़, चिमनबाग, रामबाग, राजवाड़ा, मल्हारगंज, शांतिनगर, हुकुमचंद नगर, गोवर्धन पैलेस, कालानी नगर	20	232	45
21	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से मरीमाता चौराहा, जयहिन्द नगर, बाणगंगा, वृन्दावन कॉलोनी, 15 बटालियन, सदर बाजार, लक्ष्मी नगर, विद्या पैलेस, छोटा बांगड़दा, बड़ा बांगड़दा, गांधी नगर	21	228	55
22	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से 15 बटालियन, संगम नगर, स्कीम नम्बर 51, सुन्दर नगर, कुशवाह नगर, भगतसिंह नगर, सत्यसांई बाग, गोविन्द नगर, मरीमाता चौराहा	22	238	45
23	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से भवानी नगर, बजरंग नगर, शान्ति नगर, गणेशधाम, अवन्तिका नगर, बाणगंगा रोड़	23	217	42
24	मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर डाक से अरबिन्दो, कालिन्दी गोल्ड, लवकुश चौराहा, न्यू विजय नगर, रेवती रेंज, ड्रीम हाईवे सिटी, भरोली प्रीमियम सिटी, पालाखेड़ी	24	156	50

नोट :– दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार नवीन विपणन मार्ग पर भी अनुबंधकर्ता को वाहन संचालन करना होगा।

(रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 06

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .... पिता/पति श्री .... स्थायी पता .. .. निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता/कहती हूँ कि :–

1. " इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन किया जाता है, तो मैं इन्दौर शहर के विपणन मार्ग पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन 2 इंच पफ युक्त दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु क्षमता 250 क्रेट का वाहन मॉडल वर्ष 2022 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होकर दुग्ध उत्पाद (आइसक्रीम, बटर, घी छोड़कर) परिवहन हेतु ई–निविदा की शर्तानुसार 30 दिवस में वाहन उपलब्ध करूँगा। "

   यदि निर्धारित समयावधि में वाहन उपलब्ध नहीं कर पाया तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह–

1) नाम– ....
पता–..............................
आधार कार्ड नं......................
मो.नं. ....

2) नाम– ....
पता– ....
आधार कार्ड नं.............................
मो.नं...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम– ....
पता– ....
....
मो.नं. – ....

प्रपत्र क्रमांक–07

Tender Inviting Authority: CEO, Indore Sahakari Dugdh Sangh Maryadit Indore

Name of Work: मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा।

Contract No: ISDSM/MKTG/2025/3922

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only) नोट :– विपणन मार्गो (प्रपत्र 07) एवं वितरक दर/मार्जिन (प्रपत्र 07) की सूची संलग्न है। भविष्य में साँची दुग्ध एवं उत्पादों की दरों एवं मार्जिन में प्रबंधन के निर्णयानुसार कमी/वृद्धि होने पर प्रभावी होंगी, जिन्हें परिवर्तन होने पर सूचित किया जाएगा।

NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
क्र.	विपणन मार्ग का नाम अंकित करे	मार्ग नम्बर अंकित करे	निविदाकर्ता द्वारा तापरोधी वाहन की साँची दुग्ध एवं उत्पाद परिवहन दर प्रतिलीटर/प्रतिकिलो (जिसमें मार्जिन सम्मिलित नहीं है।) (जी.एस.टी. अतिरिक्त) को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना है।	AMOUNT Without Taxes Rs. P	AMOUNT In Words
1	2	6	7	12	13
1.01				0.00	INR Zero Only
Total in Figures				0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only			

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT			ANNEXURE - 7		
PRICE STRUCTURE OF MILK (W.E.F. 07.05.2025)					
MILK TYPE	DISTRIBUTOR RATE	DISTRIBUTOR MARGIN	RETAILER RATE	RETAILER MARGIN	MRP
SANCHI GOLD 6 LTR	379.8	4.2	384	18	402
SANCHI GOLD 1 LTR	63.3	0.7	64	3	67
SANCHI GOLD 500 ML	32.15	0.35	32.5	1.5	34
SANCHI GOLD 200 ML	13.76	0.14	13.9	0.6	14.5
SANCHI SHAKTI 500 ML	29.15	0.35	29.5	1.5	31
SANCHI CHAH 1 LTR	56.3	0.7	57	3	60
SANCHI SMART 500 ML	24.15	0.35	24.5	1.5	26
SANCHI SMART 160 ML	7.11	0.29	7.4	2.6	10
SANCHI CHAI SPECIAL 1 LTR	50.3	0.7	51	3	54
SANCHI LITE 500 ML	21.15	0.35	21.5	1.5	23
SANCHI COW MILK 500 ML	28.15	0.35	28.5	1.5	30
SANCHI COW MILK 5 LTR	281.5	3.5	285	15	300
SANCHI CHAI SPECIAL 5 LTR	251.5	3.5	255	15	270
SANCHI SLIM SKIMMED MILK 400 ML	14.48	0.35	14.83	3.17	18
SANCHI SLIM SKIMMED MILK 150 ML	5.45	0.1	5.55	2.45	8

PARTICULARS	VARIANTS	DISTRIBUTOR	DISTRIBUTOR MARGIN	RETAILER	RETAILER MARGIN	M.R.P
BUTTER MILK	200 ML PKT (SALTED)	7.00	1.00	8.00	2.00	10.00
	500 ML PKT (PLAIN)	13.75	0.75	14.50	1.50	16.00
	5 LTR PKT (PLAIN)	107.00	5.00	112.00	8.00	120.00
LASSI	200 ML GLASS	24.50	1.50	26.00	4.00	30.00
PLAIN CURD	400 GM PKT	28.00	1.25	29.25	2.75	32.00
CURD	5 KG JAR	310.00	15.00	325.00	25.00	350.00
BIO MAGIC CURD	100 GM	9.50	1.00	10.50	1.50	12.00
PANEER	1 KG	335.84	6.16	342.00	20.00	362.00
	250 GM	85.05	3.00	88.05	6.95	95.00
	100 GM	39.55	0.95	40.50	2.50	43.00
PEDA	250 GM PKT	100.00	5.00	105.00	10.00	115.00
	500 GM PKT	194.00	8.00	202.00	18.00	220.00
	1.5 KG PKT	528.00	20.00	548.00	42.00	590.00
	02 PIECE PEDA 35 GM	14.25	0.75	15.00	2.00	17.00
FLAVOURED MILK	180 ML BOTTLE	20.01	1.84	21.85	3.15	25.00
SANCHI COOKIES	BUTTER COOKIES 75 GM PKT	15.61	0.50	16.11	1.89	18.00
	BUTTER COOKIES 150 GM PKT	42.22	1.65	43.87	5.13	49.00
	BUTTER COOKIES 300 GM PKT	84.45	3.30	87.75	10.25	98.00
	JEERA COOKIES 75 GM PKT	15.61	0.50	16.11	1.89	18.00
	JEERA COOKIES 150 GM PKT	42.22	1.65	43.87	5.13	49.00
	JEERA COOKIES 300 GM PKT	84.45	3.30	87.75	10.25	98.00
	CHOCOLATE COOKIES 75 GM PKT	15.61	0.50	16.11	1.89	18.00
	CHOCOLATE COOKIES 150 GM PKT	46.67	1.65	48.32	5.68	54.00
	CHOCOLATE COOKIES 300 GM PKT	93.35	3.30	96.65	10.35	107.00
	COCONUT COOKIES 75 GM PKT	15.61	0.50	16.11	1.89	18.00
	COCONUT COOKIES 150 GM PKT	46.67	1.65	48.32	5.68	54.00
	COCONUT COOKIES 300 GM PKT	93.35	3.30	96.65	10.35	107.00

प्रपत्र 08

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि कु./श्री/श्रीमती/मेसर्स ....वर्तमान में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के साथ ....के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक .... को इनका खाता नियमित है एवं दिनांक .... की स्थिति में बकाया राशि ..../— है, जिसके विरूद्ध प्रतिभूति राशि पेटे नगद राशि रूपये ..../— एवं बैंक ग्यारन्टी या एफ.डी. राशि रूपये ..../— जमा है।

अतः मेसर्स .... द्वारा इन्दौर शहर के विपणन मार्ग क्रमांक .... के विपणन क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु जारी की गयी ई—निविदा में भाग लिया जाता है, तो इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को कोई आपत्ति नही है।

जारी दिनांक ....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,इंदौर

☙ अनुबंध ❧

यह अनुबंध आज दिनांक..................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर, जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स ...., पता– .... जिन्हें इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में इन्दौर शहर के विपणन मार्ग मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में मार्ग क्रमांक .... विपणन क्षेत्र .... विपणन क्षेत्रों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :–

1) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा इन्दौर संयंत्र से संचालित होकर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में इन्दौर शहर विपणन मार्ग क्रमांक 01 मुख्य डेयरी संयंत्र मांगलिया से इन्दौर शहर में झोन क्रमांक .... विपणन क्षेत्र के समस्त वितरण केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए ई–निविदा मे परिवहन दर रू. .... प्रतिलीटर/प्रतिकिलो स्वीकृत की गई है।

2) श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स .... द्वारा ई–निविदा की शर्त अनुसार प्रतिभूति राशि पेटे एम.आर. नं. Bank .... राशि रूपये .... आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे जमा किए गए है, एवं एम.आर. नं. Bank .... दिनांक .... राशि रू. .... (टेंडर राशि) दुग्ध संघ मे प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रू. .... जमा हुए है। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। द्वितीय पक्ष द्वारा इस कार्य का दुरूपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में द्वितीय पक्ष की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जावेगी।

3.1) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 3.50 लाख नकद तथा क्रेट हेतु राशि रू. **1.00 लाख** आर.टी.जी.एस. के माध्यम से एकमुश्त दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाईन राशि रू. 50,000/- अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति राशि में समायोजन कर इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रू. 5.00 लाख होगी। इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

3.2) दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी। जिसको जमा करना अनिवार्य होगा।

4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई–टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।

5) वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु **(क्षमता 250 क्रेट आवश्यकतानुसार)** जिसके दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। अथवा नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2022 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओं. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।

6) सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन / किराये का अनुबंधित वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। जिस पर दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।

7) यह कि भविष्य में वितरण / विक्रय मात्राओं में बढोतरी के दृष्टिगत प्रतिभूति / सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।

8) यह कि प्रतिभूति / सुरक्षा निधि से कार्य संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

9) साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों की शेल्फ–लाइफ सीमित होती है अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं साँची के अन्य उत्पादों की अग्रिम मांग शेल्फ लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य करें।

10) द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा आवंटित कार्य अनुसार वाहन समय–समय पर सूचित समय सारणी अनुसार संयंत्र में लगाना अनिवार्य होगा।

11) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध / साँची के समस्त उत्पाद की मूल्य तालिका से संबंधित को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

12) द्वितीय पक्ष को वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य हस्तांतरण/विक्रय /किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने यह कार्य दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय /किराये पर दिया तो कार्य आवंटन निरस्त कर आवश्यकता पडने पर पुलिस एफ.आई.आर/वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

13) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र / राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

14) यह कि सामग्री रख–रखाव हेतु फ्रिज / डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना हागी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर साँची दूध व दुग्ध उत्पाद का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।

15) द्वितीय पक्ष के पास इंदौर शहर / क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस / आउटलेट होना चाहिये।

16) द्वितीय पक्ष तंबाकू/मादक पदार्थ / अन्य आपत्तिजनक पदार्थ परिवहन / वितरण/विक्रय नही करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा तंबाकू / मादक पदार्थ / अन्य आपत्तिजनक पदार्थ परिवहन / वितरण / विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

17) दुध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही द्वितीय पक्ष दूध, एवं साँची समस्त उत्पादों का परिवहन / वित्तरण / विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दूध, घी एवं साँची के समस्त उत्पादों आदि का परिवहन वितरण / विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रु.5000 / का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन द्वितीय पक्ष को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

18) यह कि वितरक सह परिवहनकर्ता के कार्यालय पर होने वाले व्यय जैसे किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

19) प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध / साँची के समस्त उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिदिन सीधे संबंधित दुग्ध संघ के निर्धारित बैंक में अग्रिम जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि एक दिन पुर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

20) इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय को पक्ष प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकित एव हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पडने पर विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

A. धनादेश के अनादरित होने पर रु.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू. 2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B. यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर द्वितीय पक्ष द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000 /– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C. यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

D.द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

21) क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत परिवहन / वितरण /वितरण सह–परिवहन /विक्रय (पार्टी से संबंधित कार्य) बतौर कार्य /व्यवसाय संबंधितों से कर रहा है। अतः संबंधितों से लेन–देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

22) द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्षकार (दुग्ध संघ) यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद परिवहन / वितरण/विक्रय हेतु निर्देशित करेगा तो द्वितीय पक्ष को वह परिवहन / वितरण /विक्रय करना अनिवार्य होगा।

23) यह कि दुग्ध संघ द्वारा सामग्री की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट / बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही सामग्री प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से परिवहन / वितरण / विक्रय करेंगे। दूध एवं दूध उत्पाद प्राप्ति के उपरांत सामग्री की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

24) द्वितीय पक्ष खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।

25) यह कि द्वितीय पक्ष के प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल, केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करनी होगा।

26) यह कि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली केट्स, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ के खाली क्रेट्स का स्वय उपयोग करने / बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।

27) यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाय जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।

28) यह कि शासन / प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ के भंडारण / परिवहन / वितरण/विक्रय संबंधी जो भी नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

29) यह कि प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दूध / साँची के समस्त उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/ परिपत्र / आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंधित नियमानुसार इंदौर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्दर मार्जिन /परिवहन दिया जावेगा तथा भविष्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की संभावित खपत के दृष्टिगत एक ही शहर/क्षेत्र के लिए एक से अधिक पार्टी/वितरक की नियुक्ति की जा सकेगी।

30) अनुबंधित वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर प्राप्त करने होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मांग की आपूर्ति किया जाना संभव न हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य करते हुए सहयोग प्रदान करना होगा।

31) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक ई–मेल (sales.ids@sanchidairy.com or marketing.ids@sanchidairy.com/sanchi13a@gmail.com) के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की माँग प्रस्तुत करना होगी। भविष्य में NDERP की प्रणाली का पालन करना होगा।

32) ई–निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

33) प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर डाक से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए पदार्थो की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

34) द्वितीय पक्ष को उनसे क्रय किए गये उत्पादों के बिल विक्रय क्रेन्द्रों पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।

35) यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

36) दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश/ आदेश / परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाऐंगे।

37) वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा /आवेदन प्रपत्र, प्रक्रिया एवं इसकी समस्त शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत् प्रतिशत् पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

38) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर आपसी सहमति से अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी। परन्तु कार्य अवधि में वृद्धि किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ पुनः निविदा करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

39) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। परंतु कार्य अवधि में वृद्धि किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नहीं होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के कार्यालय में वितरक सह परिवहनकर्ता साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा। परंतु दुग्ध संघ द्वारा

वैकल्पिक व्यवस्था तक कार्य करने के लिए बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि से 25 प्रतिशत कटोत्रा किया जावेगा।

40) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।

41) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के माध्यम से एवं आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

42) टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन/निविदा प्रक्रिया, आवेदन/निविदा की शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

43) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

44) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

45) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी...साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.......................... .... को घोषित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
....

गवाह :

1 नाम : ....
पता : ....
आधार कार्ड नम्बर : ....
मोबाईल नम्बर : ....

2 नाम : ....
पता : ....
आधार कार्ड नम्बर : ....
मोबाईल नम्बर : ....

प्रपत्र 10

एमपीसीडीएफ/ इससे संबद्ध दुग्ध संघों के माननीय अध्यक्ष/ संचालक/ अधिकारी/ कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का शपथ पत्र का प्रारूप

(रू.100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी– ....

01. ....सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ...द्वारा ....(शहर/क्षेत्र) में पार्टी के कार्य हेतु आवेदन/निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा ....(शहर/क्षेत्र) में पार्टी के कार्य हेतु आवेदन/निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ/इससे संबद्ध दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

इति दिनांक ....शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....................................

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ....शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....................................

:: जमानतनामा ::

मैं जमानतदार सर्व .... आत्मज श्री .... आयु .... मे है कि, कार्यालय .... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .... आयु .... निवासी .... के बीच आज दिनांक ....को वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये **रूपये 25,00,000/— (अक्षरी रूपये पच्चीस लाख मात्र)** तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल—अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक .... को लिख दिया है।

गवाह :	जमानतदार
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पता	पता ....
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर ....

:: शपथ पत्र ::

मैं .... आत्मज श्री ....

आयु .... निवासी – ....

शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :–

1. मैंने आज दिनांक .... को यह अनुबंध करार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित इन्दौर से साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता के माध्यम से किया है जिसकी समस्त सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र में प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता...............................

:: सत्यापन ::

मैं .... सत्यापित करता हूँ, कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक .... को .... में किया गया।

शपथग्रहिता.............................